

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू



पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अपरवील, झुंझुनू (राज.)
आर.ए.एस.

संख्या :- 50/2018

श्री पूर्णमल उम्र 63 वर्ष पुत्र चन्द्राराम, जाति गुर्जर निवासी रंवा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
-अपीलांत

-बनाम-

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनू

- रेसपोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 13.7.2018 उनवानी सरकार बनाम पूर्णमल
कार्यवाही अं० धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट मु० नं० 86/18
बअदालत तहसीलदार खेतड़ी ।


उपस्थिति:-

1. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, एडवोकेट ————— अपीलांत की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार, राजकीय अभिभाषक ————— रेसपोंडेंट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 27.2.2019

उक्त उनवानी अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2018 उनवानी सरकार बनाम पूर्णमल अं० धारा 91 राज० लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि - पटवारी हल्का रंवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम रंवा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 408 किस्म गै० मु० जोहड़ के रकबा 0.08 हैक्टर में जोत लगाकर अपीलान्त द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के नियम 3 के तहत नोटिस जारी कर अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने व लगान 3 रुपये 50 गुणा 150 रुपये तावान कायम करने एवं वसूल करने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को नोटिस जारी किया जिस पर अपीलान्त नें दिनांक 28.6.2018 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया



था कि अपीलांट प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटा लिया और भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 :3: के तहत कार्यवाही करने से पूर्व निश्चित तारीख तक भूमि खाली करने बाबत नोटिस दिया जाना चाहिये था, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91:3: का नोटिस दिये बिना तथा बिना अपीलांट के जवाब का अवलोकन किये आदेश दिनांक 13.7.2018 को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलांट से राजनैतिक द्वेषता के कारण हल्का पटवारी से अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट बनवाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवायी गई है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरुद्ध कानून, एवं न्याय होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 13.07.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि— वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। हल्का पटवारी रवां की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना धारा 91:3:एल.आर.एक्ट का नोटिस दिये हस्तगत आदेश पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट की ओर से वादग्रस्त भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर पश्चातवृत्ति अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 13.7.2018 का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कोई अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण पहले ही हटाया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि से अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटाने एवं

५९

भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है तथा तहसीलदार खेतड़ी से उनके पत्रांक 250 दिनांक 18.2.2019 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी वादग्रस्त भूमि के मौके पर अब कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया है। ऐसी सूरत में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने योग्य होने स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.07.2018 उनवानी सरकार बनाम श्री पूर्णमल मु0नं0 86/2018 निरस्त किया जाता है। मिसल अधीनस्थ न्यायालय आदेश प्रति सहित लौटाई जाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

५९
अति. जिला कलेक्टर
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 27.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



५९
अति. जिला कलेक्टर
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू